

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc 4th Suspension Of Sentence Application
(Appeal) No. 550/2025

Mohammed Yahya S/o Abutalib, Aged About 30 Years, Residence Village Salimpur, Police Station, Gangarampur, District South Dinajpur, West Bengal, Currently Residing Tenant, House No. 61-62, White House Beg Sahab Colony, Nai Ki Thadi, Police Station Amer, Jaipur (At Present In Jail Shyalawas Dausa)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Balram Vashisth, Adv. Mr. Vafik Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Amit Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

18/03/2025

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा 430 बीएनएसएस (389 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत प्रस्तुत चतुर्थ सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी-अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम- 2012, क्रम-03, जयपुर महानगर-द्वितीय द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 02/2021 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 17.09.2021 के माध्यम से धारा 376(2)(डी) भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दोषसिद्धी

हेतु पत्रावली पर कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, प्रथम सजा स्थगन आवेदन 18.01.2022, द्वितीय 28.01.2022 तथा तृतीय सजा स्थगन आवेदन दिनांक 10.02.2023 को खारिज हुआ है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है, करीब छः वर्ष से अभिरक्षा में है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में 18 वर्ष से अधिक आयु की पीडिता के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किये जाने के आरोप में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है, प्रस्तुत कस्टडी प्रमाण के अनुसार अभियुक्त उक्त अधिकतम सजा के मुकाबले करीब 6 वर्ष की कारावास अवधि व्यतीत कर चुका है, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह चतुर्थ सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त **मोहम्मद याह्या पुत्र अबूतालिब** इस न्यायालय में **दिनांक 21.04.2025** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय

दिनांकित 17.09.2021 के तहत दिये गये दण्डादेश का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /4